



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट - <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2424/प्रशा./2022

रायगढ़, दिनांक 05/02/2022

प्रति,

प्राचार्य
समस्त संबद्ध महाविद्यालय
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय,
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के पालनार्थ।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रं. एफ 17-4/2022/38-1 नवा रायपुर
अटल नगर दिनांक 04/02/2022

उपरोक्त विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव(प्रभारी)

क्रमांक 2425/प्रशा./2022

रायगढ़, दिनांक 05/02/2022

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर .

--00--

// आदेश //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04.02.2022

क्रमांक एफ 17-04/2022/38-1 :: समसंख्यक आदेश दिनांक 13.01.2022 द्वारा समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2021-22 में अध्ययन-अध्यापन तथा परीक्षाओं के संबंध में आदेश प्रसारित किये गये थे। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है। अतः निम्नानुसार संशोधित आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अमलों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किया जावे।
2. शैक्षणिक अमलों द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित रहकर समय-सारिणी अनुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन कक्षाएँ नियत समय पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायें।
3. जिले में संक्रमण दर को ध्यान रखते हुए छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। 04 प्रतिशत से कम संक्रमण वाले जिलों में भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन प्रारंभ कर विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। 04 प्रतिशत से अधिक संक्रमण वाले जिलों में स्थानीय प्रशासन द्वारा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी हेतु जारी निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जावे।
4. कोविड प्रोटोकॉल संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(ए.अर.खान)

अवर सचिव

पृ. क्र. एफ 17-04/2022/38-1

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.02.2022

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर,

निरंतर..

3. कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
4. कुलपति, कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, काठाडीह, रायपुर,
5. कुलपति पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर,
6. कुलपति, अटल बिहारी, बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
7. कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय, जगलदपुर,
8. कुलपति, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अंबिकापुर,
9. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, राजनांदगांव,
10. कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग,
11. समस्त निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति
12. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर । कृपया संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें ।
13. समस्त संभागीय आयुक्त छत्तीसगढ़,
14. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, मधुपिल्ले चौक, शांति नगर, रायपुर,
16. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
17. समस्त कुलसचिव, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़,
18. उप सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर,
19. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,
की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग